



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP09655095511626Y

e-Stamp

10490/2026

Certificate No. : IN-UP09655095511626Y

Certificate Issued Date : 09-Jun-2026 02:51 PM

Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0113470309447341Y

Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : VILL-GAHALWARA,GATA NO-136 ETC,TOTAL AREA-0.2680 HEC LUCKNOW.

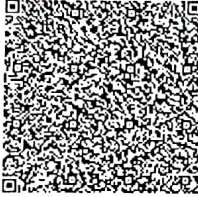
Consideration Price (Rs.) : 5,25,280

First Party : SABIR ALI SO AHAMAD ALI

Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Amount(Rs.) : 5,25,280
(Five Lakh Twenty Five Thousand Two Hundred And Eighty only)



Scanned Total Pages... 18

निस.....

Please write or type below this line

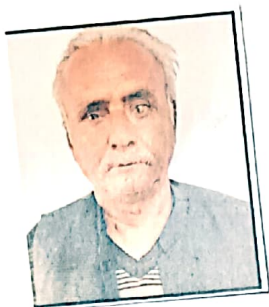
साबिर अली

जाकिर प्रताप शर्मा
नायब तहसीलदार/सबका
तहसीलदार

FH 0001003492

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



विक्रय विलेख पत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट — 70,00,000 /— (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000 /— (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य) — 75,04,000 /—
 4. मालियत रू० — 18,76,000 /—
 5. जनरल स्टाम्प — 5,25,280 /—
- स्टाम्प सं. डी **IN-UP09655095511626Y** व दिनांक **09-06-2026**

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार — (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला — गहलवारा,
8. परगना व तहसील — काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद — लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

खसरा सं० 136 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विकीत रकबा 0.0037हे०,
खसरा सं० 137 का कुल रकबा 0.0710हे० में से विकीत रकबा 0.0029हे०,
खसरा सं० 138 का कुल रकबा 0.1260हे० में से विकीत रकबा 0.0052हे०,
खसरा सं० 139 का कुल रकबा 0.2240हे० में से विकीत रकबा 0.0093हे०,
खसरा सं० 162 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विकीत रकबा 0.0084हे०,
खसरा सं० 163 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विकीत रकबा 0.0022हे०,
खसरा सं० 204 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विकीत रकबा 0.00063हे०,

साबिर अली

- खसरा सं० 205 का कुल रकबा 0.1640हे० में से विक्रीत रकबा 0.0068हे०,
खसरा सं० 225स का कुल रकबा 0.2530हे० में से विक्रीत रकबा 0.0630हे०,
खसरा सं० 355 का कुल रकबा 0.8270हे० में से विक्रीत रकबा 0.0690हे०,
खसरा सं० 394 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0047हे०,
खसरा सं० 496 का कुल रकबा 0.0690हे० में से विक्रीत रकबा 0.0086हे०,
खसरा सं० 498 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०,
खसरा सं० 531 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0005हे०,
खसरा सं० 532 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0016हे०,
खसरा सं० 533 का कुल रकबा 0.00130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0005हे०,
खसरा सं० 543 का कुल रकबा 0.0610हे० में से विक्रीत रकबा 0.0025हे०,
खसरा सं० 544 का कुल रकबा 0.0860हे० में से विक्रीत रकबा 0.0036हे०,
खसरा सं० 545 का कुल रकबा 0.0440हे० में से विक्रीत रकबा 0.0018हे०,
खसरा सं० 598 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0011हे०,
खसरा सं० 601स का कुल रकबा 0.2420हे० में से विक्रीत रकबा 0.0600हे०,
खसरा सं० 609 का कुल रकबा 0.1010हे० में से विक्रीत रकबा 0.0042हे०,
कुल रकबा 2.9400हे० में से विक्रीत रकबा 0.2680हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।
10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.2680हे०
 11. सड़क की स्थिति – किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
 12. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
 13. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है।

साक्षि २ उत्ती



भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) - नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या- 136

15. पूरब - गाटा संख्या - 140

16. पश्चिम - गाटा संख्या - 138

17. उत्तर - गाटा संख्या - 137

18. दक्षिण - गाटा संख्या - 141

19. विक्रेता का विवरण:-

श्री साबिर अली पुत्र अहमद अली निवासी-गहलवारा, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आधार नं० 3535 5469 3446 मो० नं० 9695207710 पैन नं० CIJPA3065L

20. क्रेता का विवरण:-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत- वरुण विहार आवासीय योजना

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

गोमती नगर, लखनऊ

द्वारा - श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला

पदनाम - सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार

विभाग - लखनऊ विकास प्राधिकरण

जनपद - लखनऊ मो० - 9540244993

पैन संख्या - AAALL0016F

21. विक्रीत भूमि, विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 0.2680 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरूरत खुद के उसी कित्ता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिल-खारिज सहित पूरे होंषो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना दवाव नाजायज किसी शर्त के, मय. कुल हक व हकूक के विला छोड़े किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिंग रूपये 75,04,000/- (रूपये पछहत्तर लाख चार हजार मात्र) जिसके आधे मुबलिंग रूपये 37,52,000/- (रूपये सैंतिस लाख बावन हजार मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार

साबिर अली

लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल जर समन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता मजकूर का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नही रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नही रहा। अगर कोई षरख दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारो से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतो में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बधित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए है अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नही है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नही किया गया है। और प्रणगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शरख के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी बयसुदा :-

भूमिधरी आराजी खसरा सं० 136 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विक्रीत रकबा 0.0037हे०, खसरा सं० 137 का कुल रकबा 0.0710हे० में से विक्रीत रकबा 0.0029हे०, खसरा सं० 138 का कुल रकबा 0.1260हे० में से विक्रीत रकबा 0.0052हे०, खसरा सं० 139 का कुल रकबा 0.2240हे० में से विक्रीत रकबा 0.0093हे०, खसरा सं० 162 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0084हे०, खसरा सं० 163 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0022हे०, खसरा सं० 204 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विक्रीत रकबा 0.00063हे०, खसरा सं० 205 का कुल रकबा 0.1640हे० में से विक्रीत रकबा 0.0068हे०, खसरा सं० 225स का कुल रकबा 0.2530हे० में से विक्रीत रकबा 0.0630हे०, खसरा सं० 355 का कुल रकबा 0.8270हे० में से विक्रीत रकबा 0.0690हे०, खसरा सं० 394 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0047हे०, खसरा सं० 496 का कुल रकबा 0.0690हे० में से विक्रीत रकबा 0.0086हे०, खसरा सं० 498 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 531 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0005हे०, खसरा सं० 532 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0016हे०, खसरा सं० 533 का कुल रकबा 0.00130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0005हे०, खसरा सं० 543 का कुल रकबा 0.0610हे० में से विक्रीत रकबा 0.0025हे०, खसरा सं० 544 का कुल रकबा 0.0860हे० में से विक्रीत रकबा 0.0036हे०, खसरा सं० 545 का कुल रकबा 0.0440हे०, में से विक्रीत रकबा 0.0018हे०, खसरा सं० 598 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0011हे०, खसरा सं० 601स का कुल रकबा 0.2420हे० में से विक्रीत रकबा 0.0600हे०, खसरा सं० 609 का कुल रकबा 0.1010हे० में से विक्रीत रकबा 0.0042हे०,

सावित्री अली

कुल रकबा 2.9400हे0 में से विक्रीत रकबा 0.2680हे0 अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-गहलवारा, परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

23. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु0 रुपये 75,04,000/- (रुपये पिछहत्तर लाख चार हजार मात्र) विक्रेता श्री साबिर अली पुत्र अहमद अली उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट ICICI Bank शाखा मुंशी पुलिया, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 540130 दिनांक 08.06.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भांति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

24. स्थान- लखनऊ।

दिनांक- 11.6.2026

साबिर अली

[Signature]



आवेदन सं०: 202601041025384

(साकारी)

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10490

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 7504000 स्टाम्प शुल्क- 525280 बाजारी मूल्य - 1876000 पंजीकरण शुल्क - 75040 प्रतिवित्तिकरण शुल्क - 60 योग : 75100

श्री साबिर अली,
पुत्र श्री मोहम्मद अली
व्यवसाय : अन्य
निवासी: गहलवाला

साबिर अली



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/06/2026 एवं 06:13:55 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार तिवारी प्रभारी
उप निबंधक, सरोजनीनगर द्वितीय

लाइनक

11/06/2026

सत्य कुमार आदित्य

निबंधक लिपिक

11/06/2026



राजिअल
हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता



गवाह — 01

गवाह — 02

नाम — श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम — श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी — लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

नाम — श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम — श्री राम सागर
निवास — लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या — 4986 9378 6018
मो 6387717976

आधार संख्या — 6542 8459 4318
मो 7081100818



टाइपकर्ता

प्रालेखक

सौरभ
लखनऊ विकास प्राधिकरण

श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो 6386063529



श्री देशराज लेख0, ,,,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

Signature



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature

सुनील कुमार विवारी प्रभारी
उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय

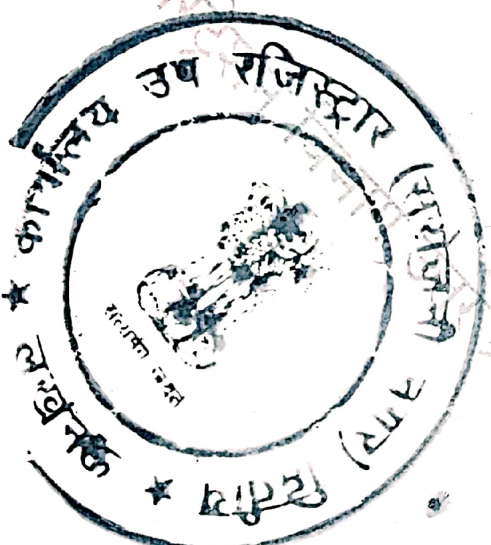
लखनऊ

11/06/2026

सत्य कुमार आदित्य

निबंधक लिपिक लखनऊ

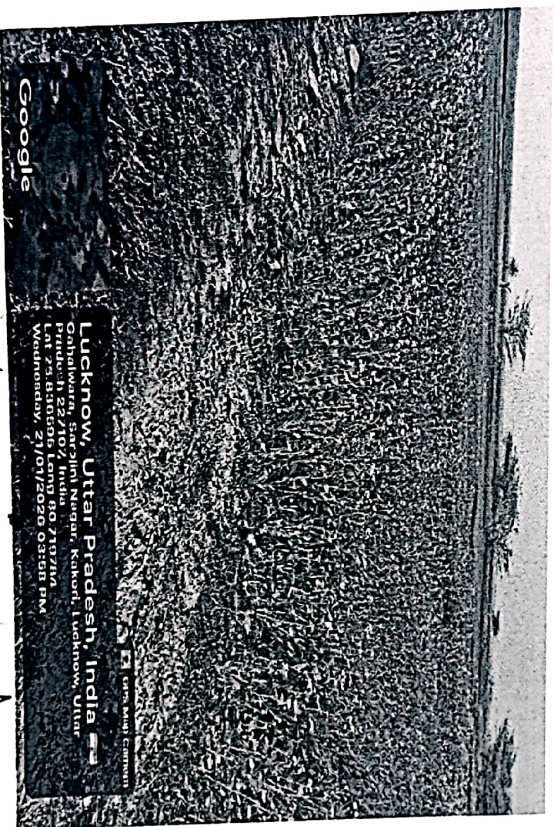
11/06/2026



स्टाम्प एवं रजिस्ट्रार

विकीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 136 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विकीत रकबा 0.0037हे०, खसरा सं० 137 का कुल रकबा 0.0710हे० में से विकीत रकबा 0.0029हे०, खसरा सं० 138 का कुल रकबा 0.1260हे० में से विकीत रकबा 0.0052हे०, खसरा सं० 139 का कुल रकबा 0.2240हे० में से विकीत रकबा 0.0093हे०, खसरा सं० 162 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विकीत रकबा 0.0084हे०, खसरा सं० 163 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विकीत रकबा 0.0022हे०, खसरा सं० 204 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विकीत रकबा 0.00063हे०, खसरा सं० 205 का कुल रकबा 0.1640हे० में से विकीत रकबा 0.0068हे०, खसरा सं० 225 का कुल रकबा 0.2530हे० में से विकीत रकबा 0.0630हे०, खसरा सं० 355 का कुल रकबा 0.8270हे० में से विकीत रकबा 0.0690हे०, खसरा सं० 394 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विकीत रकबा 0.0047हे०, खसरा सं० 496 का कुल रकबा 0.0690हे० में से विकीत रकबा 0.0086हे०, खसरा सं० 498 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विकीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 531 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विकीत रकबा 0.0005हे०, खसरा सं० 532 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विकीत रकबा 0.0016हे०, खसरा सं० 533 का कुल रकबा 0.00130हे० में से विकीत रकबा 0.0005हे०, खसरा सं० 543 का कुल रकबा 0.0610हे० में से विकीत रकबा 0.0025हे०, खसरा सं० 544 का कुल रकबा 0.0860हे० में से विकीत रकबा 0.0036हे०, खसरा सं० 545 का कुल रकबा 0.0440हे० में से विकीत रकबा 0.0018हे०, खसरा सं० 598 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विकीत रकबा 0.0011हे०, खसरा सं० 601 का कुल रकबा 0.2420हे० में से विकीत रकबा 0.0600हे०, खसरा सं० 609 का कुल रकबा 0.1010हे० में से विकीत रकबा 0.0042हे०, कुल रकबा 2.9400हे० में से विकीत रकबा 0.2680हे० अर्थात विकेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम—गाहलबारा, परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



साक्षि

विकेता के हस्ताक्षर

केता के हस्ताक्षर



आवेदन सं०: 202601041025384

बही सं०: 1

राजिस्ट्रेशन सं०: 10490

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखासुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री साबिर अली,

|SABIR ALI

पुत्र श्री मोहम्मद अली

निवासी: गहलवारा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित फैन XXXXXXX 065L

क्रैता: 1



साबिर अली

श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र
प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार),

LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY

.....

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित फैन XXXXXXX 016L

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

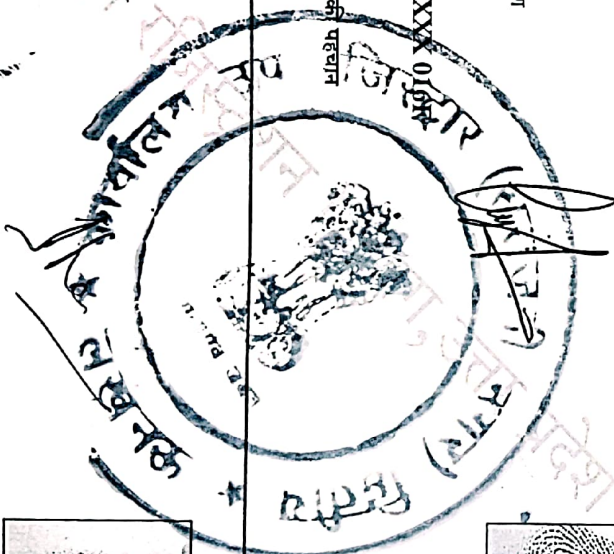
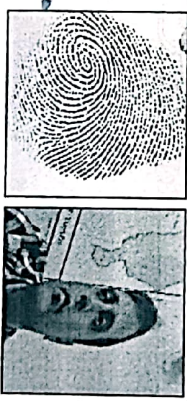
पहचानकर्ता : 1

श्री शिवम अवस्थी अमीन,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

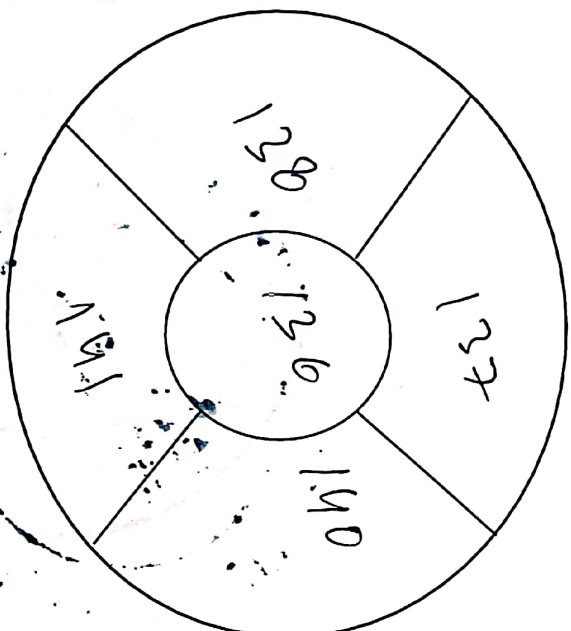
व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



0-200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 136 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विकीत रकबा 0.0037हे०, खसरा सं० 137 का कुल रकबा 0.0710हे० में से विकीत रकबा 0.0029हे०, खसरा सं० 138 का कुल रकबा 0.1260हे० में से विकीत रकबा 0.0052हे०, खसरा सं० 139 का कुल रकबा 0.2240हे० में से विकीत रकबा 0.0093हे०, खसरा सं० 162 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विकीत रकबा 0.0084हे०, खसरा सं० 163 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विकीत रकबा 0.0022हे०, खसरा सं० 204 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विकीत रकबा 0.00063हे०, खसरा सं० 205 का कुल रकबा 0.1640हे० में से विकीत रकबा 0.0068हे०, खसरा सं० 225स का कुल रकबा 0.2530हे० में से विकीत रकबा 0.0630हे०, खसरा सं० 355 का कुल रकबा 0.8270हे० में से विकीत रकबा 0.0690हे०, खसरा सं० 394 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विकीत रकबा 0.0047हे०, खसरा सं० 496 का कुल रकबा 0.0690हे० में से विकीत रकबा 0.0086हे०, खसरा सं० 498 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विकीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 531 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विकीत रकबा 0.0005हे०, खसरा सं० 532 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विकीत रकबा 0.0016हे०, खसरा सं० 533 का कुल रकबा 0.00130हे० में से विकीत रकबा 0.0005हे०, खसरा सं० 543 का कुल रकबा 0.0610हे० में से विकीत रकबा 0.0025हे०, खसरा सं० 544 का कुल रकबा 0.0860हे० में से विकीत रकबा 0.0036हे०, खसरा सं० 545 का कुल रकबा 0.0440हे० में से विकीत रकबा 0.0018हे०, खसरा सं० 598 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विकीत रकबा 0.0011हे०, खसरा सं० 601स का कुल रकबा 0.2420हे० में से विकीत रकबा 0.0600हे०, खसरा सं० 609 का कुल रकबा 0.1010हे० में से विकीत रकबा 0.0042हे०, कुल रकबा 2.9400हे० में से विकीत रकबा 0.2680हे० अर्थात विकेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-गाहलबारा, परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



[Handwritten signature]

विकेता के हस्ताक्षर

केता के हस्ताक्षर

[Handwritten signature]



आवेदन सं०: 202601041025384

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2469 के पृष्ठ 141 से 160 तक क्रमांक 10490 पर दिनांक 11/06/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार तिवारी प्रभारी

उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

11/06/2026

